

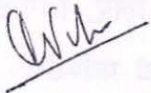
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—

// आदेश //

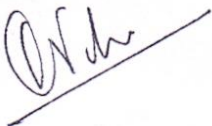
रायपुर, दिनांक 03-03-2014

क्रमांक एफ 3-75/22-1/2013:: पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 में विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की नियमित सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. शासन एतद्वारा एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय "छ.ग. राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई" की स्थापना करता है।

1. छ.ग. सामाजिक अंकेक्षण इकाई, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना एवं इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु मूलतः जिम्मेवार होगी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी। इसका विस्तार बाद में अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु किया जा सकता है। इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण इकाई संबंधित विभागों से पृथक से अनुबंध कर सकेगी।
2. यह इकाई, सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के सफल संचालन हेतु दिशा-निर्देशों नियमों एवं मैनुअलों के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। इस हेतु सामग्री भी विकसित करेगी, संसाधन कर्मियों एवं अंकेक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी। सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु भी जिम्मेवार होगी।
3. जिला प्रशासन, सामाजिक अंकेक्षण दल को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।



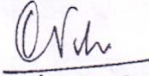
4. छ.ग. सामाजिक अंकेक्षण इकाई, न्यूनतम 11 बहुसदस्यी शासी निकाय द्वारा शासित होगी। शासी निकाय में 6 पदेन सदस्यगण निहित होंगे यथा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), कृषि उत्पादन आयुक्त और, संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, छत्तीसगढ़ शासन; संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास, मंत्रालय, भारत सरकार; महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़। उक्त पदेन सदस्यों द्वारा पांच व्यक्तियों को 2 वर्षों की अवधि के लिए नामित किया जायेगा। शासी निकाय सामाजिक अंकेक्षण इकाई को समस्त नीति विषयक मार्गदर्शन और सामाजिक अंकेक्षण इकाई की परिदृश्यता के सृजन और इसकी स्पष्टता के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे। शासी निकाय के अधिदेश के निष्पादन हेतु एक कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा। शासी निकाय सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के क्रियाकलापों के लिए नीति निर्धारित करेगी। शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी। संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई शासी निकाय के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
5. महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षणों के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए बजट की आपूर्ति महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजना के लिए स्वीकृत प्रशासनिक लागतों से की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सुझाव के अनुसार राज्य शासन ने सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के पश्चात् वार्षिक महात्मा गांधी नरेगा योजना का 1 प्रतिशत तक अधिकतम और इंदिरा आवास योजना के बजट से 1 प्रतिशत तक अधिकतम राशि सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक अंकेक्षणों के निष्पादन और अन्य पारदर्शी कार्यों के निष्पादन हेतु जारी करने का निर्णय लिया है। आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना और संयुक्त आयुक्त, इंदिरा आवास योजना सामाजिक अंकेक्षण इकाई को आवश्यक वांछित फण्ड जारी करेंगे। वे इस फंड को, सभी ग्राम पंचायतों में 6 माह में कम से कम एक बार महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं और इंदिरा आवास योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के सुगम निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, तिमाही आधार पर जारी करेंगे। यदि सामाजिक अंकेक्षण हेतु भारत सरकार से सीधे फण्डिंग



प्राप्त होती है तो आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना और संयुक्त आयुक्त, इंदिरा आवास योजना केवल शेष फण्ड की सीमा तक ही राशि जारी कर सकेंगे। इसी प्रकार छ.ग. राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षणों के लिए अन्य विभागों और योजनाओं से आवश्यक शुल्क संग्रहित करेंगे।

6. इस आदेश की एक प्रति इंटरनेट पर उपलब्ध है और <http://cg.nic.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

(छ.ग. राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार)

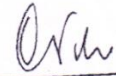

(आर.के.टंडन) 26/11/14
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-75/22-1/2013

दिनांक 03-03-2014

प्रतिलिपि :-

- माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निजी सचिव,
- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव,
- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निजी सचिव,
- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निजी सचिव,
- छत्तीसगढ़ शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवगण/प्रमुख सचिवगण/सचिवगण,
- आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर,
- अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर,
- संयुक्त आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई, छत्तीसगढ़, नया रायपुर,
- समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


संयुक्त सचिव 26/11/14
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 03-03-2014

क्रमांक एफ 3-75/22-1/2013:: पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 में विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की नियमित सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. शासन एतद्वारा एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय "छ.ग. राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई" की स्थापना करता है।

1. छ.ग. सामाजिक अंकेक्षण इकाई, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना एवं इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु मूलतः जिम्मेवार होगी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी। इसका विस्तार बाद में अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु किया जा सकता है। इस हेतु सामाजिक अंकेक्षण इकाई संबंधित विभागों से पृथक से अनुबंध कर सकेगी।
2. यह इकाई, सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के सफल संचालन हेतु दिशा-निर्देशों नियमों एवं मैनुअलों के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। इस हेतु सामग्री भी विकसित करेगी, संसाधन कर्मियों एवं अंकेक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी। सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु भी जिम्मेवार होगी।
3. जिला प्रशासन, सामाजिक अंकेक्षण दल को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

